

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-13082026-275424
SG-DL-W-13082026-275424प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05]	दिल्ली, जुलाई 24—जुलाई 30, 2026, बृहस्पतिवार/ श्रावण 2—श्रावण 8, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 130,131
No. 05]	DELHI, JULY 24 — JULY 30, 2026, THURSDAY/ SHRAVAN 2— SHRAVAN 8, 1948	[N.C.T.D. No. 130,131

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराज्य चुनाव आयोग
आदेश

दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सं. एफ.1(268)/रा0चु0आ0/प्रशा0(चु0व्यय)/2025/1033.—जबकि, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रिक्तियों को भरने के लिए पार्षदों के चुनाव हेतु, उप चुनाव की घोषणा इस आयोग द्वारा प्रेस नोट सं०.एफ.4(उप)/(5)/रा0चु0आ0/कानून/2025/21215 दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से की गई थी।

2. और जबकि, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 (इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है) के नियम 103 में निर्धारित किया गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक प्रत्याशी स्वयं या अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से चुनाव पर, उसके नामांकन की तिथि से तथा उसके

परिणामों की घोषणा के बीच की अवधि में किए गए चुनावी खर्च का अलग से तथा सही लेखा-जोखा रखेगा या अपने अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेंट से रखवाएगा।

3. और जबकि, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 104 में यह प्रावधान है कि;

104 लेखा-जोखा रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना:— (1) एक वार्ड के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम की तिथि से दस दिनों के भीतर, अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जो उसके द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गये खाते की सच्ची प्रति हो, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराना होगा।

(2) एक वार्ड के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव खर्च के लिए बनाये और जमा किये गए सम्बंधित लेखा-जोखा की प्रमाणिकता के प्रतीक के रूप में एक शपथपत्र फार्म 20 के रूप में भी दाखिल करेगा।

4. और जबकि, दिल्ली नगर निगम के 12 रिक्त वार्डों के लिए उप चुनाव दिनांक 30.11.2025 को संपन्न हुए थे और इस आयोग द्वारा परिणाम दिनांक 03.12.2025 को घोषित किया गया था। अतः चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.12.2025 थी।

5. और जबकि, वार्ड-65 के रिटर्निंग ऑफिसर के पत्र दिनांक 15.12.2025 के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के वार्ड-65 से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार उपर्युक्त नियमों के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रही हैं।

6. और जबकि, वार्ड-65 के रिटर्निंग ऑफिसर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, इस आयोग द्वारा श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार को वार्ड-65 के रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा न करने के लिए उपरोक्त नियमों के नियम 108 (5) के तहत दिनांक 17.02.2026 और 21.04.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

7. और जबकि, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से और उपर्युक्त नियमों के नियम 108 (5) के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार को आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें लेखा-जोखा प्रस्तुत न करने का कारण स्पष्ट किया गया हो और साथ ही नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर वार्ड-65 के रिटर्निंग ऑफिसर के पास चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा किया गया हो।

8. और जबकि, वार्ड-65 के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है कि उक्त नोटिस श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार को दिनांक 28.02.2026 और 27.04.2026 को तामील किए गए थे।

9. और जबकि, वार्ड-65 के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.04.2026 और 18.05.2026 में बताया है कि श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार ने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा नहीं किया है।

10. और जबकि, उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार ने उपर्युक्त नियमों में निर्धारित कानून के अनुसार लेखा-जोखा जमा करने में विफलता के लिए इस आयोग को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

11. और जबकि, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 110 में यह प्रावधान है कि:—

यदि आयोग संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति:-

(क) इन नियमों द्वारा निर्धारित समय और पद्धति के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रहा है, और

(ख) यदि विफलता के लिए कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, तो आयोग सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे अयोग्य घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तिथि से छः वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

12. और जबकि, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रही हैं और विफल रहने का उनके पास कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है।

13. अब, अतः दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 110 के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद् द्वारा श्रीमती विशाखारानी पति श्री विनोद कुमार, निवासी एन-28/डी-180, डी ब्लॉक, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, अशोक विहार, दिल्ली-110052, दिल्ली नगर निगम के उप चुनाव-2025 में वार्ड-65, अशोक विहार से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार, को इस आदेश की तिथि से छः वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली नगर निगम के पार्षद के रूप में चुने जाने तथा बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता है।

आदेशानुसार,

आदेश्वर कान्त, प्रभारी सचिव/विभाग प्रमुख

STATE ELECTION COMMISSION

ORDER

Delhi, the 23rd July, 2026

No. F.1(268)/SEC/Admn.(E.E)/2025/1033.—WHEREAS, the Bye-Elections to elect Councillors to fill up vacancies in 12 vacant Wards of Municipal Corporation of Delhi were announced by this Commission vide Press Note No. F. 4(BYE)/(5)/SEC/LAW/2025/21215 dated 28.10.2025;

2. AND WHEREAS, Rule 103 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter called the Rules) prescribes that every candidate at an election to a ward shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election, incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result;

3. AND WHEREAS, Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that;

104. Lodging of accounts with the Returning Officer: - (1) Every contesting candidate at an election of a ward shall, within ten days from the date of election of the returned candidate, lodge with the Returning Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent.

(2) Every contesting candidate at an election to a ward shall also file an affidavit in Form-20 in token of authenticity of the account of election expenses as maintained & submitted by him.

4. AND WHEREAS, the Bye Elections for 12 vacant Wards of Municipal Corporation of Delhi were held on 30.11.2025 and the result was declared by this Commission on 03.12.2025. Hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 13.12.2025;

5. AND WHEREAS, as per the report submitted by the Returning Officer, Ward-65 vide letter dated 15.12.2025, Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, a contesting candidate from Ward-65 of Municipal Corporation of Delhi has failed to lodge account of election expenses, as per aforesaid Rules;

6. AND WHEREAS, on the basis of the said report of the Returning Officer, Ward-65, Show Cause notices dated 17.02.2026 and 21.04.2026 were issued under Rule 108(5) of the aforesaid Rules by this Commission to Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, through Returning Officer, Ward-65 for not lodging of account of Election Expenses;

7. AND WHEREAS, through the above said Show Cause Notices and as per provisions of Rule 108(5) of the aforesaid Rules, Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the Returning Officer, Ward-65 within 20 days from the date of receipt of the notices;

8. AND WHEREAS, the Returning Officer, Ward-65, has reported that the said notices were served upon Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, on 28.02.2026 and 27.04.2026;

9. AND WHEREAS, the Returning Officer, Ward-65 in his reports dated 13.04.2026 and 18.05.2026 reported that Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, has not submitted account of election expenses;

10. AND WHEREAS, after receipt of the said notices, Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, has failed to furnish any reason or explanation to this Commission, for failure to lodge the account as prescribed in the aforesaid Rules;

11. AND WHEREAS, Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that:-

If the Commission is satisfied that a person:-

(a) has failed to lodge an account of Election expenses within the time and in the manner required by these rules, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of six years from the date of the order.

12. AND WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so;

13. NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, the State Election Commission, NCT of Delhi hereby declares Smt. Vishakharani, W/o Sh. Vinod Kumar, resident of R/o N-28/D-180, D Block, Wazirpur Industrial Area, Ashok Vihar, Delhi-110052, a contesting candidate from Ward-65, Ashok Vihar in the Bye-Elections 2025 to the Municipal Corporation of Delhi, to be disqualified for being chosen as and for being a Councillor of Municipal Corporation of Delhi for a period of six years from the date of this order.

By Order,

ADESHWAR KANT, Secy. In-charge/HOD

आदेश

दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सं. एफ.1(268)/रा0चु0आ0/प्रशा0(चु0व्यय)/2025/1034.—जबकि, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में रिक्तियों को भरने के लिए पार्षदों के चुनाव हेतु, उप चुनाव की घोषणा इस आयोग द्वारा प्रेस नोट सं०.एफ.4(उप)/(5)/रा0चु0आ0/कानून/2025/21215 दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से की गई थी।

2. और जबकि, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 (इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है) के नियम 103 में निर्धारित किया गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक प्रत्याशी स्वयं या अपने चुनाव एजेन्ट के माध्यम से चुनाव पर, उसके नामांकन की तिथि से तथा उसके

परिणामों की घोषणा के बीच की अवधि में किए गए चुनावी खर्च का अलग से तथा सही लेखा-जोखा रखेगा या अपने अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेंट से रखवाएगा।

3. और जबकि, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 104 में यह प्रावधान है कि;

104 लेखा-जोखा रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना:— (1) एक वार्ड के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम की तिथि से दस दिनों के भीतर, अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जो उसके द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गये खाते की सच्ची प्रति हो, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराना होगा।

(2) एक वार्ड के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव खर्च के लिए बनाये और जमा किये गए सम्बंधित लेखा-जोखा की प्रमाणिकता के प्रतीक के रूप में एक शपथपत्र फार्म 20 के रूप में भी दाखिल करेगा।

4. और जबकि, दिल्ली नगर निगम के 12 रिक्त वार्डों के लिए उप चुनाव दिनांक 30.11.2025 को संपन्न हुए थे और इस आयोग द्वारा परिणाम दिनांक 03.12.2025 को घोषित किया गया था। अतः चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.12.2025 थी।

5. और जबकि, वार्ड-163 के रिटर्निंग ऑफिसर के पत्र दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के वार्ड-163 से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह उपर्युक्त नियमों के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रहे हैं।

6. और जबकि, वार्ड-163 के रिटर्निंग ऑफिसर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, इस आयोग द्वारा श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह को वार्ड-163 के रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा न करने के लिए उपरोक्त नियमों के नियम 108 (5) के तहत दिनांक 17.02.2026 और 21.04.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

7. और जबकि, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से और उपर्युक्त नियमों के नियम 108 (5) के प्रावधानों के अनुसार, श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह को आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें लेखा-जोखा प्रस्तुत न करने का कारण स्पष्ट किया गया हो और साथ ही नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर वार्ड-163 के रिटर्निंग ऑफिसर के पास चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा किया गया हो।

8. और जबकि, वार्ड-163 के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है कि उक्त नोटिस श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह को दिनांक 06.03.2026 और 15.05.2026 को तामील किए गए थे।

9. और जबकि, वार्ड-163 के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.04.2026 और 06.06.2026 में बताया है कि श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह ने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा नहीं किया है।

10. और जबकि, उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह ने उपर्युक्त नियमों में निर्धारित कानून के अनुसार लेखा-जोखा जमा करने में विफलता के लिए इस आयोग को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

11. और जबकि, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 110 में यह प्रावधान है कि:—

यदि आयोग संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति:—

(क) इन नियमों द्वारा निर्धारित समय और पद्धति के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रहा है, और

(ख) यदि विफलता के लिए कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, तो आयोग सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे अयोग्य घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तिथि से छः वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

12. और जबकि, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने में विफल रहे हैं और विफल रहने का उनके पास कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है।

13. अब, अतः दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 110 के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद् द्वारा श्री दाल चन्द कपिल पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी मकान संख्या 49/3, देवली गांव, नई दिल्ली-110080, दिल्ली नगर निगम के उप चुनाव-2025 में वार्ड-163, संगम विहार-ए से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, को इस आदेश की तिथि से छः वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली नगर निगम के पार्षद के रूप में चुने जाने तथा बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता है।

आदेशानुसार,
आदेश्वर कान्त, प्रभारी सचिव/विभाग प्रमुख

ORDER

Delhi, the 23rd July, 2026

No. F.1(268)/SEC/Admn.(E.E)/2025/1034.—WHEREAS, the Bye-Elections to elect Councillors to fill up vacancies in 12 vacant Wards of Municipal Corporation of Delhi were announced by this Commission vide Press Note No. F. 4(BYE)/(5)/SEC/LAW/2025/21215 dated 28.10.2025;

2. AND WHEREAS, Rule 103 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter called the Rules) prescribes that every candidate at an election to a ward shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election, incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result;

3. AND WHEREAS, Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that;

104. Lodging of accounts with the Returning Officer: - (1) Every contesting candidate at an election of a ward shall, within ten days from the date of election of the returned candidate, lodge with the Returning Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent.

(2) Every contesting candidate at an election to a ward shall also file an affidavit in Form-20 in token of authenticity of the account of election expenses as maintained & submitted by him.

4. AND WHEREAS, the Bye Elections for 12 vacant Wards of Municipal Corporation of Delhi were held on 30.11.2025 and the result was declared by this Commission on 03.12.2025. Hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 13.12.2025;

5. AND WHEREAS, as per the report submitted by the Returning Officer, Ward-163 vide letter dated 23.12.2025, Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, a contesting candidate from Ward-163 of Municipal Corporation of Delhi has failed to lodge account of election expenses, as per aforesaid Rules;

6. AND WHEREAS, on the basis of the said report of the Returning Officer, Ward-163, Show Cause notices dated 17.02.2026 and 21.04.2026 were issued under Rule 108(5) of the aforesaid Rules by this Commission to Sh. Dal

Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, through Returning Officer, Ward-163 for not lodging of account of Election Expenses;

7. AND WHEREAS, through the above said Show Cause Notices and as per provisions of Rule 108(5) of the aforesaid Rules, Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the Returning Officer, Ward-163 within 20 days from the date of receipt of the notices;

8. AND WHEREAS, the Returning Officer, Ward-163, has reported that the said notices were served upon Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, on 06.03.2026 and 15.05.2026;

9. AND WHEREAS, the Returning Officer, Ward-163 in his reports dated 16.04.2026 and 06.06.2026 reported that Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, has not submitted account of election expenses;

10. AND WHEREAS, after receipt of the said notices, Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, has failed to furnish any reason or explanation to this Commission, for failure to lodge the account as prescribed in the aforesaid Rules;

11. AND WHEREAS, Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that:-

If the Commission is satisfied that a person:-

(a) has failed to lodge an account of Election expenses within the time and in the manner required by these rules, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of six years from the date of the order.

12. AND WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so;

13. NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, the State Election Commission, NCT of Delhi hereby declares Sh. Dal Chand Kapil, S/o Sh. Hari Singh, resident of R/o H. No. 49/3, Deoli Village, New Delhi-110080, a contesting candidate from Ward-163, Sangam Vihar-A in the Bye-Elections 2025 to the Municipal Corporation of Delhi, to be disqualified for being chosen as and for being a Councillor of Municipal Corporation of Delhi for a period of six years from the date of this order.

By Order,

ADESHWAR KANT, Secy. In-charge/HOD